न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।
सत्र परीक्षण सं०–305/2023
अपराध संख्या–477/2017
सरकार बनाम नफीसा बानो आदि।
थाना–रौनाही, जनपद–अयोध्या।
दिनांक–12.08.2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–10 ब

1. अभियुक्तागण नफीसा बानो, आयशा बानो एवं रोशनी द्वारा उन्हें उन्मोचित करने के लिए धारा 227 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वे निर्दोष हैं। दौरान विवेचना एकत्रित साक्ष्य से उनके विरूद्ध कथित धाराओं का कोई मामला नहीं बनता। अभियोजन कथानक और प्रपत्रों से ही मृतका की मृत्यु स्वभाविक होना स्पष्ट और प्रमाणित है। मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी है। विसरा में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में विष नहीं पाया गया है। मृतका को प्रताड़ित किये जाने का कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और न ही घटना का कोई हेतुक विद्यमान है। अभियुक्ता सं 1 80 वर्षीय बीमारियों से ग्रसित वृद्ध महिला है जबकि अभियुक्ता सं 2 व 3 विवाहित हैं और अपने–अपने ससुराल में रहती हैं। शहबाल खां के पारिवारिक मसलों से उनका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

2. मशकूर खां जो मृतका का पिता है द्वारा आपत्ति 15 ग प्रस्तुत की गई है जिसे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)अयोध्या द्वारा सबमिट किया गया है। आपत्ति में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि वर्ष 2001 में वादी ने अपनी पुत्री की शादी शहबाल खां के साथ की थी। ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 19.10.2017 को रात 10.00 बजे उसकी हत्या करके सूचना दी कि आकस्मिक मृत्यु हो गई है। सुनकर वादी और उसकी पत्नी सदमें में चले गये। 20.10.2017 को वादी का पुत्र मुम्बई से आया तब तक शव दफन किया जा चुका था। गले में रस्से के निशान थे। गाल पर भी चोट के निशान थे। उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में शव कब्र से जब निकाला गया तो गले पर चोट के निशान थे। गले पर फफोले पड़ कर चमड़ी उधड़ गयी थी। पंचनामे से हत्या की पुष्टि होती है। गवाहान बकार खान व रेशमा आदि के साक्ष्य से स्पष्ट है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पत्रावली 2018 से लम्बित है। विलम्ब करने के लिए पहले अभियुक्तागण ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका 2019 में योजित की थी जिसे 12.02.2020 को निरस्त किया गया। तब माननीय उच्चतम न्यायालय में 2022 में एस.एल.पी दाखिल कर दी। जिसे 17.10.2022 को निस्तारित करते हुए गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश पारित करते हुए 6 सप्ताह के अन्दर जमानत कराने और डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था। लेकिन अभियुक्तागण ने इन आदेशों का उल्लंघन किया। अभियुक्ता सं 1 के वृद्ध होने और अभियुक्ता सं 2 व 3 के विवाहित होने का जो आधार लिया गया है वह असत्य हैं। अभियुक्ता सं 2 व 3 मायके में रहती थी और मृतका को दहेज के लिए मारती पीटती थी सब ने मिलकर उसकी हत्या की है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क पूर्व में सुने जा चुके हैं। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

4. वादी मुकदमा मो०अतहर खान जो मृतका का भाई है के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी बहन उम्मे रूमा की शादी शहबाल खान के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 19.10.2017 की रात 10.00 बजे उसकी हत्या करके मेरे घर पर यह सूचना दी कि आकस्मिक मृत्यु हो गई। मां सदमें में चली गई। मैं मुम्बई में था। 20.10.2017 को लौटा तब तक शव दफनाया जा चुका था। घर वालों ने बताया गले में रस्सी के निशान थे। गाल पर भी चोट के निशान थे। हत्या में सास नफीसा बानों, ननद आयसा बनों, रोशनी, अनीला, तफसीना व पति शहबाल खान शामिल हैं।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.10.2017 को दर्ज की गई और पुलिस द्वारा शव निकलवाया गया और पंचनामे की कार्यवाही 21.10.2017 को शाम लगभग 05.00

Digitally signed by SHIVANI JAYASWAL
Date: 2025.08.12 16:38:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बजे सम्पन्न करायी गई। जिसमें मृतका का चेहरा काला पड़ा पाया गया। गले के पास फंफोले पड़कर चमड़ी उधड़ी पायी गयी। थानाध्यक्ष की राय में मृत्यु संदेहास्पद प्रतीत हुई। पोस्टमार्टम कराया गया और विसरा जांच के लिए भेजा गया।

6. विवेचक को दिये बयानों में वादी मुकदमा अतहर खान, मृतका की मां आसमा, मृतका की बहन आयशा ने इस आशय के कथन किये हैं कि मृतका को ससुराल वाले–पति शहबाल, सास नफीसा बानों, ननदें आयशा तथा रोशनी कम दहेज के लिए तरह–तरह से प्रताड़ित करते थे और पैसों की मांग करते थे। जब मृतका घर आती थी तो इसके बारे में बताती थी कि उससे कहा जाता है कि मायके से पैसे लाओं जिससे शहबाल कोई काम धंधा कर सके। मृतका का मायके वालों ने कुछ रूपयों का प्रबंध करके उसका पासपोर्ट बनवाकर उसे सऊदी अरब भेजा था कि वह कुछ कमाई करने लगे। शहबाल बहुत अधिक शराब पीने लगा था। जब यहां घर पर मृतका अकेली रहती थी तो उसकी सास और ननदें कम दहेज के लिए तरह–तरह से प्रताड़ित करती थीं। लगभग दो माह पहले शहबाल सऊदी से वापस आया था और वकार के साथ रहने लगा था। दोनों खूब शराब पीते थे। घटना वाली रात को शहबाल ने उम्मे रूमा के साथ मारपीट की थी। उम्मे रूमा की मौत के बाद जब मैं गांव आया और जानकारी की तो पता चला कि पति, सास और नन्दों ने मिलकर गला घोटकर उसकी हत्या की थी। मृतका की मां ने यह भी बयान दिया है कि दफनाने से पहले उम्मे रूमा को नहलाते समय उसके गले और चेहरे पर कुछ निशान देखे थे लेकिन उस समय सदमें के कारण किसी से कुछ नहीं बता पायी। केस डायरी में मृतका के पांच वर्षीय पुत्र अरहान का बयान भी अंकित है कि मम्मी को पापा ने मारा है।

7. सुनवाई के दौरान बताया गया है कि मृतका की ससुराल ग्राम जगनपुर में ही मृतका की ननदों का विवाह हुआ है और वे मायके व ससुराल आती जाती रहती हैं।

8. यह सही है कि एफ.एस.एल रिपोर्ट में विसरा में कोई विष नहीं पाया गया है। परन्तु केवल विसरा रिपोर्ट अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

9. आरोप विरचित किये जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Superintendent & Remembrancer of Legal Affairs, West Bengal Vs. Anil Kumar Bhunja 1979(4)SCC 274 के पैरा 18 में निम्न मत व्यक्त किया है–

"The standard of test, proof and judgement which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of section 227 or 228 of the Cr.P.C. 1973. At this stage even a very strong suspicion founded on materials before the Magistrate which leads him to form a presumptibe opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged, may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence"

10. इस प्रकरण में अभियुक्तागण के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 498ए, 302, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है। केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयानों व अन्य साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्तागण के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार है। अभियुक्तागण की ओर से जो आपत्तियां उठायीं गई हैं वे गुण–दोष से सम्बन्धित हैं। जिन पर अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही कोई मत व्यक्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र 10ब स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 10ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 27.08.2025 को पेश हो।

दिनांक–12.08.2025

(शिवानी जायसवाल)
J.O.Code–U.P5993
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद–अयोध्या